कार्यालय जिलाधिकारी, बहराइच।

(खनन अनुमाग)

संख्याः १८८१ / तीस-खनन/ ड्रेजिंग बालू / 2024

दिनांकः 2_न , जून, 2024

ई-निविदा आमंत्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बहराइच मे घाघरा नदी तल पर ड्रेजिंग के फलस्वरूप डेजिंग मैटेरियल (साधारण बालू) निकला है जिसके निस्तारण के सम्बन्ध में निदेशक, मूतत्व एवं खनिकर्म विभाग खनिज भवन, लखनऊ के पन्न संख्या 428/एम—ड्रेज्ड मटेरियल/2024 दिनांक 15 मई 2024 में दिये गये निर्देशानुसार ड्रेजिंग मैटेरियल (साधारण बालू) हेतु 03 माह की अल्प अवधि के लिए ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से ड्रेजिंग के फलस्वरूप निकले साधारण बालू (भण्डारित बालू) को ई-निविदा के माध्यम से दिंनाक 11.07.2024 से दिनांक 20.07.2024 तक ई-निविदा http://etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार आंमत्रित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम-बेल्हा बेहरौली समूहों पर अनुमानित भण्डारित बालू जिओकोआर्डिनेट का विवरण:-

लाट सं0		खानेज का	मात्रा (घन मीटर)	रायल्टी	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	कुल धनराशि क 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी	बिन्दु	अक्षांश	देशान्तर
1	महसी	सा०बालू—।	18900.00	65.00	1228500.00	307125.00	प्रारम्भिक (A)	27.522958	81.35200
							प्रारम्भिक (B)	27.522864	81.35160
							आन्तम (C)	27.521833	81.35240
							अन्तिम (D)	27.521627	81.35214
	महसी	सा0बालू—।	18240.00	65.00	1185600.00	296400.00	प्रारम्भिक (A)	27.521833	81.35240
2							प्रारम्भिक (B)	27.521627	81.35214
							अन्तिम (C)	27.520493	81.353034
	महसी	सा0बालू—।	17325.00	65.00	1126125.00	281531.25	अन्तिम (D)	27.520363	81.352677
							प्रारम्भिक (A)	27.520493	81.353034
3							प्रारम्भिक (B)	27.520363	81.352677
							अन्तिम (C)	27.519447	81.353496
							अन्तिम (D)	27.519309	81.353265
	गहसी	सा0बालू–।	17400.00	65.00	1131000.00	282750.00	प्रारम्भिक (A)	27.519447	81.353496
							प्रारम्भिक (B)	27.519309	81.353265
							अन्तिम (C)	27.518282	81.354056
-							अन्तिम (D)	27.518177	81.353847
	महसी	सा0बालू-।	17842.50	65.00	1159762.50	289940.63	प्रारम्भिक (A)	27.518282	81.354056
1							प्रारम्भिक (B)	27.518177	81.353847
							अन्तिम (C)	27.51714	81.354682
							अन्तिम (D)	27.517083	81.354406

	महसी	सा0बालू-।	14962.50	65.00	972562.50	243140.63	प्रारम्भिक (A)	27.512638	81.356771
6							प्रारम्भिक (8)	27.512664	81.356622
							अन्तिम (C)	27.511464	81.357416
							अन्तिम (D)	27.511378	81.357199
	महसी	सा0बालू-।	18396.00	65.00	1195740.00	298935.00	प्रारम्भिक (A)	27.511464	81.357416
7							प्रारम्भिक (B)	27.511378	81.357199
							अन्तिम (C)	27.510258	81.357997
							अन्तिम (D)	27.510196	81.358349
	महस्ती	सा०बालू-।	16644.00	65.00	1081860.00	270465.00	प्रारम्भिक (A)	27.510258	81.357997
8							प्रारम्भिक (B)	27.510196	81.358349
							अन्तिम (C)	27.50901	81.358572
							अन्तिम (D)	27.508946	81.358349
	महसी	सा०बालू-।	17955.00	65.00	1167075.00	291768.75	प्रारम्भिक (A)	27.50901	81.358572
9							प्रारम्भिक (B)	27.508946	81.358349
							अन्तिम (C)	27.507921	81.359191
							अन्तिम (D)	27.507885	81.358985
	गहसी	सा०बालू-।		65.00	1000350.00	250087.50	प्रारम्भिक (A)	27.507921	81.359191
10							प्रारम्भिक (8)	27.507885	81.358985
							अन्तिम (C)	27.506747	81.359819
- 6							अन्तिम (D)	27.506627	81.35965

2— सभी खण्डों के बालू हटाने की अवधि 03 माह अथवा नदी के जलस्तर बढ़ने, जिसके कारण बालू हटाना सम्भव न हो, मात्रा अथवा अवधि जो भी पहले घटित हो मान्य होगा। किसी भी दशा मे अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

3- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2, पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:-

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई—मेल एवं मोबाइल नंo

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है, जिसमें निम्न हो— उपखनिज का नाम— तहसील का नाम— भण्डारित स्थल का नाम/ग्राम— खण्ड संख्या/लाट संख्या— विज्ञप्ति में दी गयी भण्डार की मात्रा—

ड. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता(स्थायी और वर्तमान) ई—मेल एवं मोबाइल नं० (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा—आधार कार्ड/वोटर आई डी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेस/बिजली बिल,बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)



खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली दर, जो खनिज के लिए नियमावली 2021 के प्रथम

अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।

एकत्रित किये गये साधारण बालू की मात्रा (धनमीटर) को नियमावली 2021 की अनुसूची-1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी बहराइच के पक्ष में अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूलप्रति ई निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक क्षेत्र की ई-निविदा हेतु पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगी उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र। ਯ.

उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र-귝.

पैन कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र। 8

ई-निविदा आंमत्रण सूचना दिंनाक 11.07.2024 से 20.07.2024 के 07 कार्य दिवस के अन्दर अपरान्ह 5. 4. 00 बजे तक ई-टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी।

यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई-टेण्डरिंग लागू 5. किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकर को ई-टेण्डरिंग प्रकिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-(क)

ई—टेण्डरिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग

एजेन्सी

से डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करना होगा।

ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू०पी० (ख) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा। (可)

विडर्स / कन्ट्रैक्टर्स / वेन्डर्स ई-टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से

निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

- निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई-टेण्डरिंग पर करा लेने तथा डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:
 - सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई—टेण्डर पोर्टल पर लॉगिन आई0डी0 (Login ID), व पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।
 - तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिगनेचर का सत्यापन (Verification) ई-टेण्डर पोर्टल ii-पर किया जाना होगा।
 - निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की iii-'निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।
 - निविदाकार द्वारा कम्पयूटर स्कीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारी को सीधे देखा जा iv-सकता है। अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर प्रिन्टआउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

निविदाकार द्वारा निविदा को समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई-टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर-3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 बनायी जानी होगी।

ई-टेण्डर डाकूमेंटस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पीं०डी०एफ० फाइल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे आफ लाइन" (Pay offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेंट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्कीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री-सबिमेट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी से सम्बन्धित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों

भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

VIII- निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्रिबिड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।

IX— यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबिमट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिंड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिंड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिंड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रकिया को अपनाते हुए ई निविदा रि-बिंड सबिमशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबिमट (Submit) कर सकते है। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई-टेण्डर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व प्रस्तुत की गई बिंड्स अनुमन्य नहीं होगी।

विज्ञप्ति के अनुसार ई-निविदा 07 कार्यदिवसों में प्राप्त ई निविदाओं को अगले कार्यदिवस दिनांक 22.07.2024 अपरान्ह 3.00 बजे सभागार कलेक्ट्रेट बहराइच में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा। ई-निविदा की प्रकिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0-15000/-का चालान/डी0डी0 प्रत्येक खण्ड के लिए अलग-अलग जमा करना होगा।

- 8— विन्दु संख्या—3 में वंछित अमिलेख/बैंक ड्राफट की प्रति ई—निविदा के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या—3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफट की प्रति ई—निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई—निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेख की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि दिनांक 22.07.2024 को समय प्रातः 10.0 बजे से 01.00 बजे तक न्यायालय अपर जिलाधिकारी बहराइच के कक्ष में रखे बाक्स में जमा करना होगा। बैंक ड्राफट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
- अंत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा हटाने सम्बन्धी सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- .जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
- 11— ई—टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्राडबैण्ड इन्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगा इन्टरनेट कन्द्र की सेवाएं ली जा सकती है।
- 12— जिला स्तर पर ई—टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यो हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/परीक्षण हेतु यू०पी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० 10 अशोक मार्ग लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
- 13 भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
- 14. क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के अनुज्ञापत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु सहमित पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सहमित पत्र निर्गत होने के 02 दिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।
- 15. निविदाकार को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक मार्ग की व्यवस्था/निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
- 16. ई-निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 25 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट / कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
- 17. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुँचमार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वंय आश्वस्त हो ले। ई निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा"।



18. मा० उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (मा०एन०जी०टी०) द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 तथा समय समय पर निर्गत समस्त सुसंगत शासनादेशों / निर्देशों का अनुपालन बाध्यकारी होंगे।

19. निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू हटाने/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति

पहुँचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति धारक उत्तरदायी होगा।

20. भण्डारण स्थल पर बालू जहाँ भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वयं आवेदक करेगा। टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

. सफल निविदादाता को देय रायल्टी पर 02 प्रतिशत टी०सी०एस०, 10 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन

न्यास (डी०एम०एफ) तथा नियमानुसार स्टाम्प एवं अन्य देय अदा करना होगा।

 इच्छुक निविदादाता एक से अधिक खण्डों के लिए निविदा ले सकता है जिसके लिए अलग—अलग अनेस्ट मनी जमा करनी होगी।

> आज्ञा से जिलाधिकारी, बहराइच।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1—प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

2-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन लखनऊ।

3-प्रबन्धक निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपीरेशन लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ।

4-निदेशक, सूचना उ०प्र० लखनऊ को छः प्रतियो सहित दो दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित कराने हेत्।

5-अधिशासी अभियन्ता बैराज यॉत्रिक अनुरक्षण खण्ड, आशापुर वाराणसी।

6-अधिशासी अभियन्ता, कार्यशाला स्थापन खण्ड, कानपुर।

7-राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी,लखनऊ।

8—खान अधिकारी बहराइच को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित समिति के सदस्यो तथा अपरिजलाधिकारी(विo/राo) के साथ सम्पर्क स्थापित कर निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म से डी०एस०सी० मैपिंग कराते हुये ई—टेण्डर की कार्यवाही पूरी कराना सुनिश्चित करें।

9-ई डिस्ट्रिक मैनेजर, बहराइच।

10-जिला सूचना अधिकारी बहराइच को व्यापक प्रचार प्रसार हेत्।

11-नाजिर सदर कलेक्ट्रेट बहराइच कों मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)

बहराइच।